माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक-16.11.2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में 4 देशरत्न मार्ग, पटना स्थित 'संवाद' में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की पंचम बैठक/ वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः- पंजी के अनुसार

कार्यावली संख्या-01

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक-12.09.2017 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि ।

निर्णय :- अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-02

बिहार विकास मिशन के कार्यकारी समिति की दिनांक-13.08.2018 को सम्पन्न षष्टम् बैठक की कार्यवाही अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ।

निर्णय :- अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-03

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक-12.09.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत हैः-

(क) शासी निकाय की दिनांक-12.09.2017 के बैठक की कार्यवाही की कार्यावली संख्या-04(ग)	अनुपालन
श्रम संसाधन विभाग के अनुरोध के आलोक में दिनांक-07.04.2017 को सम्पन्न कार्यकारी समिति में निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया :- 1. कुशल युवा कार्यक्रम के लाभार्थियों के अधिकतम उम्र सीमा को 25 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष किये जाने पर विचार-विमर्श। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभार्थियों की उम्र 20-25 वर्ष ही रहने के बिन्दु पर विचार-विमर्श। 2. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के लाभार्थियों से भी कुशल युवा का प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु सुरक्षित जमा के रूप में 1,000/- रूपये की राशि लिये जाने पर विचार-विमर्श जो उनके सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात उनके बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी, ताकि स्वयं सहायता भत्ता के लाभार्थियों का कुशल युवा कार्यक्रम से dropout को नियंत्रित किया जा सके। 3. स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रारंभ के 06 माह में ही कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के बिन्दु पर विचार-विमर्श। कार्यकारी समिति की बैठक में कंडिका-01 में अंकित कार्यक्रम को तत्काल अपने मूल स्वरूप में कार्यान्वित करने का निदेश दिया गया एवं 03 माह बाद पुनः समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया एवं कंडिका-02 एवं 03 को अनुमोदित किया गया है।	निर्णय :- कंडिका-01 के संबंध में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम के लाभार्थियों की अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ा दिया गया है तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में अब बढ़े हुए उम्र के आधार पर लाभार्थियों का पंजीयन किया जा रहा है। अब 15 से 28 वर्ष के सभी युवा, जो कम से कम 10वीं उर्त्तीण हैं, कुशल युवा कार्यक्रम की पात्रता रखते हैं। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांगजनो की अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षो की अतिरिक्त छूट दी गयी है, जबकि पिछड़े वर्ग तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग के मामले में उपरी उम्र सीमा में 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट अनुमान्य है। कंडिका-02 के संबंध में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के लाभार्थियों से भी कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सुरक्षित जमा के रूप में 1000/- की राशि प्राप्त की जा रही है, जो उनके सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने पश्चात उनके बैंक खाते में वापस कर दी जाती है। कंडिका-03 के संबंध में निदेशित किया गया कि जो आवेदक स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने हेतु

शासी निकाय के दिनांक–12.09.2017 की बैठक में निर्णयः– कंडिका 2 एवं 3 अनुमोदित। कंडिका–1 के संबंध में यह निदेश प्राप्त हुआ है कि इससे संबंधित प्रस्ताव, कुशल युवा कार्यक्रम योजना की दिनांक–31.12.2017 तक की समीक्षा कर कार्यकारी समिति के माध्यम से विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।	**पंजीकरण के प्रथम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते है अथवा पूर्व से प्रशिक्षित रहने से संबंधित शपथ पत्र नहीं जमा करते है, वैसे आवेदकों का अंतिम 05 (पाँच) माह का स्वयं सहायता भत्ता स्थगित रखने के बिन्दु पर संबंधित विभाग नियमानुसार कार्रवाई करें।**
(ख) शासी निकाय की दिनांक–12.09.2017 की कार्यवाही की कार्यावली संख्या–07	**अनुपालन**
बिहार विकास मिशन की नियमावली की कंडिका–9 (13) के आलोक में वैधानिक/ सांविधिक (वार्षिक) अंकेक्षण (Statutory Audit) हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के पैनल से सूचीबद्ध पटना स्थित फर्म, सच्चिदानन्द चौधरी एण्ड को० को कार्यहित में चयनित कर अंकेक्षण का कार्य सम्पन्न कर लिया गया है। समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदन को कार्यकारी समिति के माध्यम से शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। शासी निकाय के दिनांक–12.09.2017 की बैठक में निर्णयः– अनुमोदित।	**निर्णय :– अनुमोदित।** **साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों का अंकेक्षण कराकर कार्यकारी समिति के माध्यम से शासी निकाय के समक्ष प्रतिवेदन, अवलोकन/ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय।**

कार्यावली संख्या– 04

बिहार विकास मिशन अन्तर्गत माह–अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक हुए आय/व्यय की विवरणी अनुमोदनार्थ निम्नवत हैः–

Receipt (From 01-04-2017 Upto 31.03.2018)	
Received From	**Amount (in Rs.)**
Opening Balance	₹ 89,90,67,088.37
GoB	₹ 70,00,00,000.00
Interest	₹ 3,18,86,086.00
BOQ of Tender/ Penalty Other	₹ 63,596.00
Performance Security/ Performance Guarantee/Earnest Money	₹ 23,37,821.00
Total Receipt	₹ 1,63,33,54,591.37
Expenditure (From 01-04-2017 Upto 31.03.2018)	
Particulars	**Amount (in Rs.)**
Salary & Wages	₹ 3,93,61,495.00
Honorarium & Related Expenditure	₹ 42,34,47,903.86
Consultancy Fee	₹ 6,73,33,611.00
Mobile/Telephone/Internet Expenditure	₹ 8,34,937.00
Furniture & Office Equipments and Furnishing	₹ 19,18,436.00
Vehicle Hiring & Travelling Expenditure	₹ 50,83,573.00
Office Expenditure	₹ 76,50,672.50
Total Expenditure	₹ 54,56,30,628.36

निर्णय :– अनुमोदित।

कार्यावली संख्या–05

दिनांक–01.04.2018 को वित्तीय वर्ष 2017–18 की अधिशेष राशि मो० ₹ 108,77,23,963.01 है। बिहार विकास मिशन अन्तर्गत माह–अप्रैल' 2018 से मार्च' 2019 तक की अनुमानित व्यय–विवरणी (बजट प्राक्कलन) सरकार द्वारा मदवार निम्नवत् अनुमोदित है :–

Proposed Budget (From 01-04-2018 Upto 31-03-2019)	
Particulars	**Amount (in Rs.)**
Salary & Wages	₹ 10,00,00,000.00
Capital Expenditure (Furniture & Office Equipments and Furnishing)	₹ 5,00,00,000.00
Other than Salary (Including Consultancy Fee, Honorarium & Related Expenditure)	₹ 135,00,00,000.00
Total Expenditure	**₹ 150,00,00,000.00**

बिहार विकास मिशन का वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपरोक्त अनुमानित व्यय–विवरणी (बजट प्राक्कलन) पर दिनांक–13.08.2018 को कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। इस पर शासी निकाय की स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय :– अनुमोदित।

कार्यावली संख्या–06

बिहार विकास मिशन की नियमावली की कंडिका–09 (13) के आलोक में वैधानिक/सांविधिक (वार्षिक) अंकेक्षण (Statutory Audit) हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के पैनल से सूचीबद्ध पटना स्थित फर्म, Sangita Gupta & Associates 68, Nehru Chak, Gulzarbagh, Patna को कार्यहित में चयनित कर वित्तीय वर्ष–2017–18 का सांविधिक अंकेक्षण का कार्य सम्पन्न करा लिया गया है। सांविधिक अंकेक्षक Sangita Gupta & Associates 68, Nehru Chak, Gulzarbagh, Patna के चयन पर दिनांक–13.08.2018 को कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। इस पर शासी निकाय की स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय :– अनुमोदित।

कार्यावली संख्या–07

दिनांक–01.04.2017 से बिहार विकास मिशन को आयकर अधिनियम की धारा – 12 'AA' के अंतर्गत आयकर में छूट प्राप्त है। बिहार विकास मिशन के वित्तीय वर्ष 2017–18 का कर–अंकेक्षण (Tax Audit), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के पैनल से सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म– SACHIDANAND CHOUDHARY & CO. Chartered Accountants, H.O. 302, Rajendra Enclave, Behind of Shashi Complex, Exhibition Road, Patna-1 से कराया गया एवं उक्त आयकर छूट से संबंधित आयकर विवरणी भी दाखिल की गयी है। Tax Audit Report में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गयी है। शासी निकाय के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ।

निर्णय :– अनुमोदित।

कार्यावली संख्या–08

बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश सं०–465, दिनांक–18.05.2017 द्वारा अपर निदेशक (प्रोग्राम मॉनिटरिंग) एवं अपर निदेशक (प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन) के साथ कार्य करने हेतु क्रमशः एक–एक Computer Assistant का पद स्वीकृत है। इस क्रम में मिशन निदेशक कार्यालय द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में उक्त सृजित Computer Assistant के पदों को समाप्त करते हुए उक्त स्वीकृत पद हेतु निर्धारित मानदेय की राशि ₹ 25,750/– पर ही प्रत्येक अपर निदेशक हेतु एक–एक अर्थात कुल दो (02) आशुलिपिक के पद के सृजन के प्रस्ताव पर दिनांक–13.08.2018 को कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। इस पर शासी निकाय की स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय :– अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-09

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5254/UDHD, दिनांक-09.02.2017 द्वारा बिहार विकास मिशन से निम्नांकित 04 (चार) विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है:-

(i) Finance Specialist
(ii) IT & MIS Specialist
(iii) GIS Specialist
(iv) Procurement Specialist

उक्त 04 (चार) पदों के सृजन के प्रस्ताव पर दिनांक-13.08.2018 को कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। इस पर शासी निकाय की स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय :- अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-10

बिहार विकास मिशन के आदेश संख्या-465, दिनांक-18.05.2017 द्वारा Legal Expert के 04 (चार) पद, Legal Advisor का 01 (एक) पद तथा Legal Assistant का 01 (एक) पद का सृजन किया गया। मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-05.09.2017 को सम्पन्न बैठक में यथावर्णित सभी 06(छः) पदों को Surrender/ Hold करने तथा Legal Officer के 10 (दस) नये पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया, जिसका मानदेय ₹ 50,950/- (पचास हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र) निर्धारित किया गया। उक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से Legal Officer के 10 (दस) नये पदों का रोस्टर क्लीयरेंस कराते हुए नियोजन की कार्रवाई की गई है।

उक्त पर दिनांक-13.08.2018 को कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। इस पर शासी निकाय की स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय :- अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-11

बिहार विकास मिशन के आदेश संख्या-465, दिनांक-18.05.2017 द्वारा Executive Assistant के 04(चार) पदों का सृजन किया गया। मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में इस पद को Hold पर रखने तथा Management Assistant-I का 01(एक) पद एवं Management Assistant-II का 01(एक) पद सृजित करने का निर्णय लिया गया, जिसका मानदेय क्रमशः ₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) एवं ₹ 75,750/- (पचहत्तर हजार सात सौ पचास रूपये मात्र) निर्धारित किया गया।

उक्त संशोधन पर दिनांक-13.08.2018 को कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। इस पर शासी निकाय की स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय :- अनुमोदित। निदेशित किया गया कि Management Assistant-I एवं Management Assistant-II, से सिर्फ बिहार विकास मिशन के कार्यो को सम्पादित करवाया जाय। संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को सरकार के नीति निर्धारण/ गोपनीय/ अति संवेदनशील संबंधी कार्यो के साथ संलग्न नहीं किया जाय।

कार्यावली संख्या-12

बिहार विकास मिशन के सदस्य सचिव कार्यालय में प्रारंभ से ही प्रतिनियुक्ति के आधार पर मिशन के लेखा का कार्य हेतु एक लेखापाल कार्यरत हैं।

कार्यहित में लेखापाल के एक (01) पद की स्वीकृति के प्रस्ताव पर दिनांक-13.08.2018 को कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। इस पर शासी निकाय की स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय :- अनुमोदित।

कार्यावली संख्या–13

बिहार विकास मिशन के गठन के समय तत्काल इसके सुचारू संचालन हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के राज्यादेश संख्या–143, दिनांक–04.02.2016 द्वारा कुल 08 पदनाम के 46 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचना एवं मिशन के स्वंय की आवश्यकतानुसार उक्त राज्यादेश के क्रमांक–2 एवं 3 सहित अन्य पदों का सृजन, बिहार विकास मिशन के शासी निकाय के अनुमोदनोपरांत समय–समय पर किया गया, परन्तु राज्यादेश के क्रमांक–1 एवं क्रमांक–4 से 8 तक के पदों (अर्थात कुल 06(छः) पद) का सृजन नहीं हुआ है। अतः राज्यादेश में अंकित क्रमांक–1 एवं क्रमांक–4 से 8 तक के पदों को निम्नवत सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित है।

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	मिशन निदेशक (सचिव से अन्यून)	01	भारतीय प्रशासनिक सेवा
2	प्रशाखा पदाधिकारी	02	बिहार सचिवालय सेवा (सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से)
3	सहायक	12	बिहार सचिवालय सेवा (सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से)
4	आशुलिपिक	02	बिहार आशुलिपिक सेवा (सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से)
5	डाटा इंट्री ऑपरेटर/ कार्यपालक सहायक	12	बाह्य श्रोत से
6	कार्यालय परिचारी (IT Boy/ Girl)	05	बाह्य श्रोत से
	योग –	34	

उक्त पदों के सृजनोपरांत राज्यादेश के पदों को प्रत्यार्पित करने हेतु शासी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) को प्रस्ताव भेजा जा सकेगा।

निर्णय :– अनुमोदित।

कार्यावली संख्या–14

मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक–04.06.2018 को आयोजित बैठक में बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की जानकारी प्राप्त करने के लिए "Call Centre" के अधिष्ठापन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में प्रारंभिक तौर पर 5 Seat (Callers) का "Call Centre" विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए Out Sourcing के माध्यम से अधिष्ठापित किया गया, जो दिनांक–15.06.2018 से कार्यरत है।

उक्त पर दिनांक–13.08.2018 को कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। शासी निकाय के अवलोकनार्थ।

निर्णय :– अवलोकित।

कार्यावली संख्या–15

बिहार विकास मिशन के HR Manual में कतिपय संशोधन पर दिनांक–13.08.2018 को कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन का अनुमोदन प्राप्त कर संशोधन संबंधी आदेश निर्गत किया जा चुका है। शासी निकाय के अवलोकनार्थ।

निर्णय :– अवलोकित।

कार्यावली संख्या–16

बिहार विकास मिशन की नियमावली की कंडिका–19 में अंकित है:– "Operation Of Accounts:- A bank account will be opened by the name of the "Bihar Vikas Mission" Fund and funds of the Mission will be operated through it. This account will be operated by joint signatures of the officers authorized by the Governing Body".

वर्तमान में बिहार विकास मिशन का एक खाता ICICI बैंक में संधारित है। कार्यहित में कार्यालय का एक और बैंक में खाता खोलने की आवश्यकता के आलोक में बिहार विकास मिशन की नियमावली की कंडिका-19 में आवश्यक संशोधन हेतु कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन द्वारा दिनांक-13.08.2018 की बैठक में शासी निकाय के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ अनुशंसित किया गया है।

उक्त कार्यकारी समिति के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ अनुशंसित प्रस्ताव पर शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय :- निदेशित किया गया कि वर्तमान में बिहार विकास मिशन हेतु अतिरिक्त बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है।

कार्यावली संख्या-17

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक-12.09.2017 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि "संविदा पर नियोजन कम से कम 3 वर्ष की हो एवं प्रत्येक 11 माह बाद नियंत्री पदाधिकारी के मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर उनके कार्यो की समीक्षा की जाय। समीक्षोपरांत संतोषप्रद कार्य एवं आवश्यकतानुसार नये सिरे से एकरारनामा निष्पादित किया जाय"।

उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र हेतु संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों सहित विभिन्न विभागों एवं बिहार विकास मिशन में पदस्थापित कर्मियों के मामले में कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में संविदा पर नियोजित अधिकांश कर्मियों सहित अन्य कर्मियों की सेवा अवधि करीब 02 वर्ष 03 माह हो चुकी है।

अतः उन कर्मियों के उपयोगिता/ आवश्यकता के मद्देनजर उनकी सेवा और 02 (दो) वर्ष अर्थात कुल 05 (पाँच) वर्ष तक जारी रखने/ नये सिरे से नियोजन करने के बिन्दु पर शासी निकाय का मार्गदर्शन प्रार्थित है।

निर्णय :- निदेशित किया गया कि इस कार्यावली में उपस्थापित प्रस्ताव, कार्यकारी समिति के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-18

बिहार विकास मिशन के अंतर्गत निम्न 07 उपमिशनों के कार्यक्रमों एवं योजनाओं की विस्तृत समीक्षा हेतु सात निश्चयवार/ उपमिशनवार अनुपालन एवं प्रगति प्रतिवेदन हेतु संबंधित उप मिशन द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया :-

(क) निश्चयवार :-

निश्चयः 1 आर्थिक हल, युवाओं का बल

जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र-

जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहयता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की गई।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना-

समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत कतिपय जिलों में एक ही शिक्षण संस्थान से अत्यधिक संख्या में शिक्षा ऋण हेतु आवेदनों की प्राप्ति हो रही है।

इस संबंध में निदेशित किया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत स्वीकृति में विलम्ब नही होना चाहिए साथ ही आवश्यकता पड़े तो संस्थाओं की जांच और सत्यापन का काम मिशन मोड में सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना-

इस संबंध में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के लाभार्थियों से भी कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सुरक्षित जमा के रूप

में 1000/- की राशि प्राप्त की जा रही है, जो उनके सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने पश्चात उनके बैंक खाते में वापस कर दी जाती है एवं जो आवेदक स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने हेतु पंजीकरण के प्रथम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते है अथवा पूर्व से प्रशिक्षित रहने से संबंधित शपथ पत्र नहीं जमा करते है, वैसे आवेदकों का अंतिम 05 (पाँच) माह का स्वयं सहायता भत्ता स्थगित रखने के बिन्दु पर संबंधित विभाग नियमानुसार कार्रवाई करें।

कुशल युवा कार्यक्रम-

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम में प्रशिक्षित विद्यार्थियों (4,69,145) एवं प्रतीक्षारत (4,51,700) विद्यार्थियों की संख्या में काफी अन्तर है। इस समस्या के समाधान हेतु प्रतीक्षारत विद्यार्थियों से KYP Centre एवं जिला स्तर से लगातार समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित कर प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि कुल 534 प्रखंडों में से अधौरा (कैमूर) को छोड़कर शेष 533 प्रखंड में प्रखंड कौशल विकास केन्द्र आच्छादित/ संचारित है।

इस संबंध में निदेशित किया गया कि छात्रों द्वारा प्रशिक्षण हेतु पंजीयन कराने के बाद समय सीमा का निर्धारण किया जाय, जिसके अंतर्गत छात्रों को प्रशिक्षण प्रारंभ करना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि जिन प्रखंडों में कौशल विकास केन्द्र अब तक संचालित नहीं हुए है, वहां के युवाओं को पास के प्रखंड में स्थित कौशल विकास केन्द्र पर प्रशिक्षण कराया जाय।

500 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फण्ड का गठन तथा इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना :-

"आर्थिक हल युवाओं को बल" निश्चय के तहत 500 करोड़ रूपये के वेंचर कैपिटल फण्ड का गठन तथा इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना से संबंधित बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 के तहत स्टार्ट्-अप हेतु कुल 5532 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रारंभिक स्क्रूटनी कमिटी द्वारा 931 स्टार्ट्-अप को इन्क्यूबेशन हेतु चयनित किया गया तथा इन्हें भिन्न-भिन्न Host Institutes के साथ संबद्ध किया गया है। इनक्यूबेटर स्तर पर 178 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है, जबकि उनके द्वारा 110 स्टार्ट-अप की अनुशंसा की गयी है। SIAC द्वारा अनुशंसा के आलोक में ट्रस्ट द्वारा 57 स्टार्ट-अप को प्रमाणीकृत किया गया है, जिनमें से निर्विवाद 47 स्टार्ट-अप को प्रथम किस्त 115.02 लाख रु० एवं 15 स्टार्ट-अप को द्वितीय किस्त 73.17 लाख रु० उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि इसमें केवल सीड मनी उपलब्ध करायी जाती है। उसके बाद स्टार्ट-अप द्वारा Investor/ वेंचर कैपिटल Investor खोजा जाता है ।

प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 की पुनः समीक्षा कर इसे और भी सुगम बनाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें, जिसपर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गई ।

सभी विश्वविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई -

संस्थानों में Wi-Fi उपयोग हेतु निबंधित User एवं Logged User की संख्या बढ़ाने के संबंध में सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा बताया गया कि One Time Password (OTP) based registration चालू करने से संस्थानों में निबंधित एवं Logged User की संख्या बढ़ी है तथा इस सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा Wi-Fi के वैकल्पिक उपयोग हेतु सुझाव दिया गया कि संस्थानों में Integrated Management System (College Management System), Multi Party Video Conferencing, E-learning आदि की व्यवस्था किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में निदेशित किया गया कि शिक्षा विभाग तथा सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों से विमर्श कर Integrated Management System (College Management System), E-learning (Smart Class), प्रारंभ करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

निश्चय : 2 आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार-

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभाग, प्रमंडल, जिला से संबंधित आँकड़ों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया।

निश्चय : 3 हर घर बिजली

माननीय उप-मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित अवधि से पूर्व "हर घर बिजली" निश्चय के लक्ष्य की सफलतापूर्वक प्राप्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में राज्य की उपलब्धि का प्रकाशन एवं अन्य संबंधित माध्यम का उपयोग करने का सुझाव दिए जाने पर प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा सूचित किया गया कि :

(i) हाल में इससे संबंधित समाचार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है।

(ii) Social Media पर इस उपलब्धि के विभिन्न पहलुओं के Video clips कई दर्शकों द्वारा पसंद भी किया गया।

(iii) इसके अतिरिक्त उर्जा विभाग द्वारा इस दिशा में और प्रयास किया जायेगा।

निश्चय : 4 हर घर नल का जल

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा निश्चय की अद्यतन प्रगति पर चर्चा के क्रम में सूचित किया गया कि :

(i) वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हाल में लगभग 4,000 अतिरिक्त ग्रामीण वार्डो में स्वीकृत निश्चय योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ कराया जायेगा।

(ii) Key Positions पर कार्मिकों के कमी से योजना के प्रगति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव, खास कर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का अभाव, कनीय अभियंताओं द्वारा नल-जल योजना की मापी पुस्तिका भरने में शिथिलता बरतने एवं अन्य संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु संविदा पर रखे गए कार्मिकों की देख-रेख में चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम 50% कार्य प्रारंभ वार्डो में कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(iii) वार्ड स्तर पर प्राक्कलन के सभी पहलुओं की समझ एवं महत्त्व को विकसित करने हेतु योजना की विभिन्न विशिष्टियों के आधार पर 13 मानक प्राक्कलन सरल भाषा में तैयार कर सभी जिलों में प्रचारित किया गया है।

(iv) वार्ड स्तर पर योजना के अभिलेखीकरण एवं अन्य दस्तावेजों के संधारण में समुचित क्षमतावर्द्धन हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उक्त आशय का प्रमाणीकरण योजना अभिलेख में किये जाने के उपरांत प्रखंड परियोजना अनुश्रवण समिति के स्तर से योजना की तकनीकी स्वीकृति दिए जाने की अनिवार्य व्यवस्था की गयी है।

(v) योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्तापूर्ण सामग्री की प्रयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु ISI Mark एवं अन्य उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति करने वाले 100 उत्पादकताओं/ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अब तक विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण किया जा चुका है। इस क्रम में सभी जिला पदाधिकारी को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों को विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत उत्पादकताओं/ आपूर्तिकर्ताओं के जिलास्तरीय एवं स्थानीय प्रतिष्ठानों एवं Dealers से गुणवत्तायुक्त सामग्री का क्रय करने हेतु प्रेरित करने का सुझाव दिया गया है।

(vi) इसके अतिरिक्त योजना में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच कराने हेतु CIPET सहित जिला स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं अन्य कार्य विभागों के प्रयोगशाला का उपयोग किये जाने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया गया ।

(vii) निश्चय योजना का नियमानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिला पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी सहित विभागीय तथा अन्य वरीय पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्रियान्वित एवं संचालित निश्चय योजनाओं की जांच की जाती है। अब तक योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन में दोषियों के विरुद्ध कैमूर, बांका एवं नवादा जिला में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(viii) इस क्रम में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की बढती संलिप्तता पर रोक लगाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत निरोधात्मक कार्रवाई में गति लाने के दृष्टिकोण से निश्चय अवधि तक धारा 18(5) में निहित मुखिया को पदच्युत करने की शक्तियाँ जिला पदाधिकारी को प्रत्यर्पित किये जाने का अनुरोध किया गया।

(ix) योजना के रख-रखाव, निर्बाध संचालन एवं मरम्मति हेतु स्थानीय एवं सक्रिय युवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जो निर्धारित मासिक शुल्क के विरुद्ध स्थानीय Users'Group को अपनी सेवा प्रदान कर सकेंगे।

(x) योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के प्रभावकारी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु विभाग द्वारा MIS विकसित किया गया है।

सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निश्चय के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि :

(i) कुल 56,079 ग्रामीण वार्डो में नल-जल योजना का क्रियान्वयन किया जाना है जिसमें 30,497 गुणवत्ता प्रभावित एवं वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से क्रियान्वित होने वाले 17,555 वार्ड सहित कुल शेष 25,582 गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्ड सम्मिलित हैं।

(ii) वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से क्रियान्वित होने वाले वार्डो में विभाग की योजना मद की राशि पंचायती राज विभाग द्वारा सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में अंतरित की गई है।

(iii) यद्यपि योजना में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की आवश्यकता है, किन्तु जिलास्तरीय विभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा योजना में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता से संबंधित मात्र तीन मूल (Basic) जांच की जा सकती है।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निश्चय के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि :

(i) नगर निकायों के वार्डो में विभिन्न एजेंसी द्वारा निश्चय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनमें नगर निकायों द्वारा स्वयं क्रियान्वित नल-जल योजनाओं की प्रगति बेहतर है।

(ii) अधिकांश शहरी वार्डो में यथासंभव एक नल-जल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं अब तक लगभग 3.00 लाख घरों को नल-जल की सुविधा से आच्छादित किया जा चुका है।

(iii) पूर्व से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 279 शहरी वार्डो में क्रियान्वित एवं नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित नहीं किये गए नल-जल की योजनाओं का क्रियान्वयन, रख-रखाव एवं संचालन उक्त विभाग द्वारा ही किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा हस्तांतरित योजनाओं का क्रियान्वयन, रख-रखाव एवं संचालन किया जा रहा है।

पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री एवं अन्य विभाग के मंत्रियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के क्रम में निश्चय योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता यथा मुखिया द्वारा ससमय योजना के क्रियान्वयन की राशि

वार्ड के निश्चय योजना हेतु समर्पित बचत बैंक खातों में अंतरित करने में विलम्ब, मुखिया द्वारा वार्ड सदस्यों को प्रभावित कर अनाधिकृत रूप से राशि की निकासी करा लेना, योजना के तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति में विलम्ब, कतिपय स्थानों पर नलकूप के निर्माण के उपरांत कार्य स्थगित रहने, प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाने, कनीय अभियंताओं द्वारा योजना की मापी पुस्तिका भरने में टाल-मटोल करने, शहरी क्षेत्र में पुराने pipelines एवं नलकूपों के क्षतिग्रस्त होने, सहित अन्य पहलुओं की सूचना पंचायती राज विभाग को दिए जाने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में वांछित सुधार हेतु आवश्यकतानुसार कार्रवाई किये जाने का सुझाव दिया गया ।

माननीय उप-मुख्यमंत्री द्वारा योजना में प्रावधानित Brass Taps के स्थान पर Plastic Taps अधिष्ठापित किये जाने की शिकायत प्राप्त होने, योजना में प्रयुक्त सामग्रियों की जांच CIPET से कराये जाने एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान योजना की जांच में सुगमता हेतु जांच के मुख्य बिन्दुओं की एक checklist पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार करने का सुझाव दिया गया।

माननीय मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, द्वारा वार्ड से क्रियान्वित योजनाओं में मुखिया एवं पदाधिकारियों के अनावश्यक हस्तक्षेप पर रोक लगाने के निमित योजना के मानक प्राक्कलन को सरल बनाते हुए तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनिवार्यता पर पुनः विचार किये जाने का सुझाव दिया गया ।

अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन द्वारा;

(i) हर घर नल का जल निश्चय योजना के तहत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से क्रियान्वित योजना में प्रखंड इकाई की भूमिका पर पुनः विचार करने का निदेश पंचायती राज विभाग को दिया गया।

(ii) योजना के क्रियान्वयन में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निमित योजना की सामग्रियों की जांच लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिलास्तरीय प्रयोगशालाओं से कराये जाने का निदेश दिया गया।

(iii) 'एक ग्राम पंचायत में एक कार्य एजेंसी' के सिद्धांत के आलोक में पूर्व के निर्णय यथा गुणवत्ता प्रभावित ग्राम पंचायतों के गैर-गुणवत्ता प्रभावित वार्डो में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नल-जल की योजनाओं का क्रियान्वयन कराये जाने का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का निदेश दिया गया।

(iv) विभागीय मंत्री के क्षेत्र भ्रमण के दौरान निश्चय योजनाओं की जांच के क्रम में पायी गयी अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए विभाग द्वारा अपेक्षित अग्रेतर कार्रवाई के संबंध में पृच्छा करते हुए पंचायती राज अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों/ धाराओं के तहत नियमानुसार सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में विभाग को सक्रियता बरतने का निदेश दिया गया।

(v) इस क्रम में सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने आवंटित जिलों के कम से कम 10 ग्राम पंचायतों में 5-5 वार्डो में योजनाओं की जांच करने एवं जांच की बिन्दुओं से सम्बंधित विभाग को अवगत कराने का सुझाव दिया गया ।

(vi) क्षेत्र भ्रमण के क्रम में निश्चय योजना के जांच से सम्बंधित बिन्दुओं का checklist तैयार करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग को शीघ्र प्रभारी मंत्रियों के लिए उन्मुखीकरण-सह-प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(vii) शहरी क्षेत्रों में निश्चय योजना के समुचित क्रियान्वयन में वांछित प्रगति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न अभियंत्रण इकाईयों को एकीकृत कर गठित एक अभियंत्रण कोषांग

की सूचना देते हुए नगर निकायों में क्रियान्वित, संचालित एवं क्षतिग्रस्त योजनाओं को ससमय पूर्ण एवं क्रियाशील बनाये जाने का निदेश दिया गया ।

निश्चय : 5 घर तक, पक्की गली नालियाँ

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा निश्चय की अद्यतन प्रगति पर चर्चा के क्रम में सूचित किया गया कि :

(i) वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में इस निश्चय योजना की प्रगति अपेक्षाकृत बेहतर है।

(ii) योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य तीन स्रोतों में दो यथा 14वीं वित्त आयोग एवं 5 वीं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि निर्धारित formula के तहत ग्राम पंचायतों के बीच वितरित करने के बंधेज के कारण कतिपय जिलों में राज्य योजना मद से निर्धारित राशि के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार भरपाई करने हेतु राशि का अंतरण संबंधित ग्राम पंचायतों को करने एवं कालांतर में उक्त दोनों स्रोतों से राशि प्राप्त होने पर अतिरिक्त राशि का समायोजन किये जाने का प्रस्ताव है।

(iii) कतिपय वार्डो में पूर्व में निर्मित गली-नालियों के उपरांत नल-जल योजना प्रारंभ किये जाने के फलस्वरूप उक्त योजना के तहत मुख्य जल वितरण प्रणाली एवं घरों को संयोजकता प्रदान करने वाले pipelines को बिछाने में जगह-जगह पर निर्मित PCC गलियों को तोड़ने की समस्या के निराकरण हेतु Ducts का निर्माण किया जायेगा।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निश्चय की प्रगति पर चर्चा के क्रम में वार्डो में योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि की उपलब्धता से उत्पन्न समस्या के संबंध में सूचित किया गया कि :

(i) विभिन्न स्रोतों (14वीं वित्त आयोग एवं 5 वीं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा) से प्राप्त राशि को समान रूप से सभी शहरी वार्डो में वितरित करने की बाध्यता है।

माननीय उप-मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में एक ही क्रियान्वयन इकाई होने के बावजूद पूर्व निर्मित गली-नालियाँ को नल-जल योजना के क्रियान्वयन के क्रम में तोड़ने एवं पुनः मरम्मति से कुल लागत में हुई वृद्धि की समस्या के निराकरण हेतु वार्ड में सर्वप्रथम नल-जल की योजना का क्रियान्वयन कर गली-नालियों का निर्माण किये जाने से संबंधित विभागीय advisory निर्गत किये जाने का सुझाव दिया गया।

अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन द्वारा;

(i) ग्रामीण एवं शहरी वार्डो में उपलब्ध राशि का अनुकूलतम उपयोग किया जाय एवं तदनुसार राशि की अनुपलब्धता एवं अभाव से संबंधित समस्या के निराकरण हेतु राज्य योजना मद से आवश्यकतानुसार राशि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया।

(ii) ग्रामीण वार्डो में घर तक पक्की गली-नालियों के निर्माण के उपरांत हर घर नल का जल निश्चय योजना का क्रियान्वयन किये जाने से उत्पन्न pipeline बिछाने की समस्या के निराकरण हेतु गली के किनारे पाइपलाइन बिछाने, पिलर गाड़ कर उनके ऊपर pipeline अधिष्ठापित करने एवं duct का निर्माण कराने से संबंधित सभी प्रकार के व्यवहारिक विकल्पों पर विचार करने का निदेश प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग को दिया गया।

ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना (ग्रामीण कार्य विभाग) :

इस योजना के अंतर्गत मार्च, 2019 तक कुल 4643 बसावटों के लिए 3977 कि०मी० सड़क बनाकर संपर्कता प्रदान किया जाना है। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुल 957 बसावटों में कार्य प्रारंभ एवं प्रगति पर है, जबकि कुल 2471 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। अब तक 1188 कि०मी० सड़क का निर्माण कर 1215 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई है।

प्रस्तावित पथों के लिए सरकारी जमीन की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री की पृच्छा पर विभाग द्वारा बताया गया कि बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु आवश्यक रैयती भूमि को लीज पर लिए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

निश्चय : 6 शौचालय निर्माण, घर का सम्मान

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निश्चय की अद्यतन प्रगति पर चर्चा के क्रम में सूचित किया गया कि:

(i) व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण में अपेक्षित गति के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 तक निश्चय के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जायेगी। ODF घोषणा के पूर्व निर्धारित मानकों के जांचोपरांत राज्य में ODF जिलों की संख्या 3 से बढकर 11 हो जायेगी।

(ii) अब तक कुल निर्मित व्यक्तिगत शौचालय में लगभग 65-70% double pit एवं शेष single pit तथा septic टैंक युक्त शौचालय हैं। कालांतर में 14 वीं वित्त आयोग एवं 5 वीं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाले स्वच्छता मद की राशि से ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा सकेगा।

(iii) शौचालय निर्माण के उपरांत पात्रता प्राप्त लाभुकों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान में अप्रत्याशित विलम्ब की समस्या के निराकरण हेतु वार्ड में 50% व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण होने पर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि के भुगतान की अनुमति प्रदान की गयी है तथा अब तक लगभग 34.10 लाख लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(iv) ग्रामीणों को शौचालय निर्माण एवं निर्मित शौचालय के निरंतर उपयोग के लिए प्रेरित करने हेतु 5,000 ग्राम पंचायतों में तैनात लगभग 55,000 स्वच्छताग्राहियों द्वारा सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। प्रति स्वच्छताग्राही को प्रति नव-निर्मित शौचालय के लिये 150 रु. के दर से प्रति माह लगभग 3000 से 4000 रु. का भुगतान किया जाता है।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निश्चय की प्रगति पर चर्चा के क्रम में सूचित किया गया कि :

(i) व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा किन्तु शहरी भूमिहीन गरीबों के लिए नगर निकायों में चिन्हित सार्वजनिक स्थलों के अभाव में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराने में समस्या होगी।

(ii) सामुदायिक शौचालय के स्थान पर mobile शौचालय का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

मिशन निदेशक ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रम में पूर्व से प्रचलित Manual Scavengers की प्रथा पर विराम लगाने के निमित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा Scavenging Machines का क्रय किये जाने का प्रस्ताव तैयार किये जाने की सूचना दी।

माननीय उप-मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित शौचालयों एवं भुगतान प्राप्त लाभुकों की संख्या में परिलक्षित अन्तराल को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त कराने की दिशा में आवश्यकतानुसार कार्रवाई किये जाने का सुझाव दिया गया।

अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन द्वारा;

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित single pit शौचालयों को double pit में रूपांतरित करने हेतु सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को एक पृथक योजना का प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया।

(ii) निकट भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु Manual Scavengers की प्रथा को समाप्त करने की चुनौती हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार एवं व्यवहार परिवर्तन से सम्बंधित राज्यव्यापी अभियान चलाने के लिए सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया ।

(iii) इस क्रम में हाल में स्वच्छताग्राहियों के भुगतान की शिकायत एवं कालांतर में सेवा स्थायीकरण की मांग से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्या के निराकरण हेतु सजग रहने एवं विभागीय रणनीति तैयार करने का निदेश दिया गया।

(iv) शहरों एवं नगर निकायों में सामुदायिक शौचालय की निर्माण की समस्या के निराकरण हेतु सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित करने के लिए आवश्यकतानुसार राजस्व भूमि सुधार विभाग के सहयोग से विशेष अभियान चलाने का निदेश दिया गया।

निश्चय : 7 अवसर बढ़े, आगे पढ़े

(i) **सभी जिलों में पॉलिटेकनिक संस्थान**

सभी जिलों में पॉलिटेकनिक संस्थान की स्थापना हेतु चिन्हित भूमि सम्बन्धी समस्या से सम्बंधित जिले-खगड़िया, भोजपुर, अरवल एवं जहानाबाद के सम्बन्ध में **निदेश** दिया गया कि उक्त जिलो में भूमि प्राप्त करने की दिशा में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(ii) **सभी जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय**

अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि सम्बन्धी समस्या से सम्बंधित जिले बक्सर, गोपालगंज एवं खगड़िया में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना के लिए कृषि विभाग को तथा लखीसराय के लिए शिक्षा विभाग को शीघ्र NOC देने का निदेश दिया गया। शेष जिले में भूमि की समस्या के समाधान हेतु भी समुचित उपाय किया जाए।

(iii) **सभी अनुमंडलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान**

सभी अनुमंडलों जें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु चिन्हित भूमि सम्बन्धी समस्या से सम्बंधित अनुमंडलों यथा अररिया के लिए शिक्षा विभाग को, डुमराँव के लिए पशु-पालन विभाग को शीघ्र NOC देने तथा शेष अनुमंडल में भूमि की समस्या के समाधान हेतु भी समुचित उपाय किये जाने का **निदेश** दिया गया।

(iv) **प्रत्येक जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (श्रम संसाधन विभाग) :-**

सभी जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु चिन्हित भूमि सम्बन्धी समस्या से सम्बंधित जिले - नालंदा, मधेपुरा, खगड़िया एवं समस्तीपुर के सम्बन्ध में **निदेश दिया गया कि उक्त जिलो में भूमि प्राप्त करने की दिशा में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाय।**

(v) **चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (स्वास्थ्य विभाग)**

7 निश्चय एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि सिवान जिले में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु प्रस्तावित ट्रस्ट की जमीन के सभी मूल सदस्यों की मृत्यु हो जाने के कारण भूमि के निःशुल्क प्राप्त किये जाने के सहमति के बिन्दु पर विधि परामर्श प्राप्त किये जाने हेतु संचिका महाधिवक्ता कार्यालय, पटना को भेजा गया है।

निदेशः- विभाग शीघ्र महाधिवक्ता कर्यालय से संपर्क कर विधि परामर्श प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करे ।

(vi) **फार्मेसी कॉलेज की स्थापनाः-** प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में फार्मेसी कॉलेज की कमी को देखते हुए 7 निश्चय के तहत लक्षित 33 पारा मेडिकल संस्थानों में से 5 संस्थानों को चिन्हित कर उसमें फार्मेसी कॉलेज की स्थापना कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

निदेशः- विभाग, फार्मेसी कॉलेज की स्थापना 7 निश्यच के तहत निर्माण हो रहे स्वास्थ्य संस्थानों यथा- ए0एन0एम, जी0एन0एम तथा पारा मेडिकल संस्थान के भवन में ही Vertical निर्माण कर अथवा उन संस्थानों के पास ही भूमि चिन्हित कर निर्माण कराने के संबंध में विचार कर प्रस्ताव उपस्थापित करें।

(ख) सुशासन के कार्यक्रम (उप-मिशनवार)

1. युवा उप मिशन

डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम साईन्स सिटी की स्थापना (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

इस सम्बन्ध में बताया गया कि साईन्स सिटी के लिए Architect, Exhibit design एवं Project Management हेतु परामर्शी समूह का चयन पूर्ण हो चुका है तथा भवन का Design तैयार है एवं DPR निर्माण प्रक्रिया में है।

राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग)

इस सम्बन्ध में बताया गया कि 633 करोड़ रू0 की लागत से दिनांक-12.10.2018 से कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय समिति कार्यरत है।

कौशल विकास मिशन (श्रम संसाधन विभाग)

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 तक कुल 70 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक मात्र 31,798 हजार अभ्यर्थी प्रशिक्षित हुए है।

लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नगण्य होने के संबंध में **निदेशित किया गया कि अध्यक्ष,** उप मिशन-सह-विकास आयुक्त, की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर कौशल विकास मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण में तेजी लाते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में कौशल विकास मिशन के अंतर्गत हुनर, जीविका, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य प्रशिक्षण को भी शामिल किया जाना चाहिए। **साथ ही कौशल विकास मिशन से जुड़े सभी 15 विभागों को इसकी बेहतर मॉनिटरिंग हेतु भी निदेशित किया गया।**

राज्य के सभी प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम(कला, संस्कृति एवं युवा विभाग) :-

सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा बताया गया कि कुल लक्षित 534 प्रखंडों में से 306 प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है।

इस संबंध में निदेशित किया गया कि शेष प्रखंडों में भी आउटडोर स्टेडियम निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ होना चाहिए एवं भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में शिक्षा विभाग के सहयोग से संबंधित प्रखंड के उच्च विद्यालयों में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाना चाहिए।

2. पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन

पटना मेट्रो रेल परियोजना

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति यथा नयी नीति के आलोक में राज्य मंत्रिमंडल से अनुमोदित परियोजना का संशोधित DPR केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु मंत्रालय को प्रेषित किये जाने, से अवगत कराये जाने पर अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन द्वारा पटना मेट्रो रेल की परियोजना का क्रियान्वयन शीघ्र प्रारंभ कराने के निमित केंद्र सरकार के स्तर पर बातचीत करने का सुझाव दिया गया ।

जिला मुख्यालय शहरों के लिए मास्टर प्लान का सूत्रण

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा योजना की अद्यतन स्थिति पर चर्चा के क्रम में विभाग द्वारा शहरों के मास्टर प्लान निर्माण एवं उनके विकास में वांछित सहयोग हेतु राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थानों को शीघ्र Consultant के रूप में नियुक्त किये जाने की सूचना दी गयी।

सभी शहरों में प्रभावी ठोस कचरा प्रबंधन

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत कराने पर अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन द्वारा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण हेतु Outsourcing मॉडल के स्थान पर वार्ड सदस्यों के माध्यम से इस कार्य को कराने एवं अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के विकल्प पर विचार करने का निदेश दिया गया।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत SHGs का गठन

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत कराने पर अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन द्वारा पूर्व में कटिहार में गठित शहरी SHGs के माध्यम से निष्पादित विभिन्न कार्यों के आलोक में अन्य नगर निकायों में शहरी SHGs के गठन के अभियान में तेजी लाने एवं उनके माध्यम से शहरी गरीबों को जीविकोपार्जन की सुविधा प्रदान करने एवं आवश्यकतानुसार SHGs को बैंकों से सम्बद्ध कर उनके स्वरोजगार की सम्भावना बढ़ाने का सुझाव दिया गया।

शहरी फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन की स्थापना

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए पटना में बोरिंग रोड एवं कदम कुआँ में सब्जी बाजार में वेंडिंग जोन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने की सूचना दी गयी।

सबके लिए आवास

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए योजना के बैंक ऋण पोषित अवयव में बैंकों की शिथिलता के फलस्वरूप अपेक्षाकृत कम प्रगति होने की सूचना दी गयी।

सतत् जीविकोपार्जन योजना

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए योजना के क्रियान्वयन में गति लाये जाने का आश्वासन दिया गया।

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना/ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हाल में प्रारंभ की गयी दोनों योजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने पर अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन द्वारा इन योजनाओं में राशि के दुरूपयोग के प्रति सचेत रहने एवं योजनाओं की राशि का अपव्यय रोकने के लिए ग्रामीण भूमिहीनों एवं पूर्व में क्लस्टर में निर्मित किन्तु सम्प्रति जीर्ण-शीर्ण आवासों में रहने वाले ग्रामीणों को क्रमशः वास स्थल का क्रय कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कराने एवं अपने-अपने जीर्ण-शीर्ण आवासों का जीर्णोद्धार कराने के लिए प्रेरित किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाते हुए योजनाओं का सतत पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किये जाने का निदेश दिया गया।

मनरेगा

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा योजना की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए सामग्री एवं मजदूरी मद में राशि के अभाव के कारण सम्प्रति प्रगति बाधित रहने किन्तु निकट भविष्य में केन्द्र सरकार से राशि विमुक्त होते ही मनरेगा के तहत क्रियान्वित योजनाओं के पूर्ण होने की संख्या एवं तदनुसार मानव दिवस के सृजन की गति में वांछित वृद्धि परिलक्षित होने का आश्वासन दिया गया। अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन द्वारा मनरेगा में राज्य के मजदूरों की सहभागिता में विशेष सकरात्मक परिवर्तन परिलक्षित नहीं होने के कारण उनके द्वारा पारंपरिक कार्यों के स्थान पर अन्य कार्य अथवा प्रक्षेत्र में बढ़ते रुझान का समझने के दृष्टिकोण से सर्वेक्षण के माध्यम से study कराये जाने का निदेश श्रम संसाधन विभाग को दिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-जीविका

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा योजना की अद्यतन स्थिति यथा नए स्वयं सहायता समूह के गठन की गति में कमी एवं छुटे हुए परिवारों द्वारा पूर्व में गठित एवं सफलतापूर्वक संचालित स्वयं सहायता समूहों में सम्मिलित होने का रुझान, से अवगत कराने एवं चालू वित्तीय वर्ष तक 10 लाख स्वयं सहायता

समूह के गठन के लक्ष्य के विरुद्ध 9 लाख स्वयं सहायता समूह गठित किये जाने की सूचना दी गयी। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह के राजनैतिकरण पर रोक लगाने हेतु आवश्यकतानुसार कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए 7- 8 जिलों में ईंटों की अनुपलब्धता के कारण प्रगति प्रभावित होने तथा जनवरी, 2019 तक चालू वित्तीय वर्ष का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा संसूचित किये जाने की सूचना दी गयी।

पंचायत सरकार भवन

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सरकार भवन के निर्माण एवं अन्य संबंधित अवयव की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए राज्य में सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की विभागीय रणनीति के निमित आगामी वित्तीय वर्ष में 1435 इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने की सूचना दिए जाने पर अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन द्वारा प्रति वर्ष इस कार्य के निष्पादन हेतु विभागीय संसाधनों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार बजटीय प्रावधान कराते हुए योजना के क्रियान्वयन में गति लाने के लिए अन्य स्त्रोत एवं विकल्प यथा NABARD, BRICS एवं RIDF जैसे संस्थानों से कम ब्याज पर ऋण लेने पर विचार करने का निदेश दिया गया।

बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजना, बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना

सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा दोनों चरणों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा के क्रम में द्वितीय चरण में कृषि विभाग की भूमिका को अंतिम स्वरुप प्रदान करने हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2018 को बैठक आयोजित किये जाने की सूचना देने पर अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन द्वारा कोसी की विनाशकारी बाढ़ से कोसी एवं पूर्णिया प्रमंडल के प्रभावित ग्रामों के खेतों में बालू भर जाने के कारण पारंपरिक फसल की खेती में कठिनाई के निराकरण हेतु विकल्प के तौर पर साग-सब्जी की खेती कराने के निमित पूर्व निर्धारित भूमिका के अनुरूप कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई किये जाने का सुझाव दिया तथा विश्व बैंक के दोनों चरणों की परियोजनाओं के Structural एवं Non-Structural Investment अवयव सहित अन्य अवयव की अद्यतन प्रगति की विस्तृत विवरणी तैयार कर दिनांक-04.12.2018 को आहूत बिहार विकास मिशन की बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

3. <u>उद्योग एवं व्यवसाय उप-मिशन</u>

"सुशासन के कार्यक्रम" के तहत क्रियान्वित अन्य योजनाओं की समीक्षा नहीं हो सकी । इनकी समीक्षा हेतु अगली तिथि 04.12.2018 निर्धारित की गई है ।

4. <u>मानव विकास उप-मिशन</u>

"सुशासन के कार्यक्रम" के तहत क्रियान्वित अन्य योजनाओं की समीक्षा नहीं हो सकी । इनकी समीक्षा हेतु अगली तिथि 04.12.2018 निर्धारित की गई है ।

5. <u>आधारभूत संरचना उप-मिशन</u>

"सुशासन के कार्यक्रम" के तहत क्रियान्वित अन्य योजनाओं की समीक्षा नहीं हो सकी । इनकी समीक्षा हेतु अगली तिथि 04.12.2018 निर्धारित की गई है ।

6. <u>कृषि उप-मिशन</u>

"सुशासन के कार्यक्रम" के तहत क्रियान्वित अन्य योजनाओं की समीक्षा नहीं हो सकी । इनकी समीक्षा हेतु अगली तिथि 04.12.2018 निर्धारित की गई है ।

7. <u>लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार उप-मिशन</u>

"सुशासन के कार्यक्रम" के तहत क्रियान्वित अन्य योजनाओं की समीक्षा नहीं हो सकी । इनकी समीक्षा हेतु अगली तिथि 04.12.2018 निर्धारित की गई है ।

कार्यावली संख्या–19

अन्यान्यः–

बिहार विकास मिशन द्वारा विभिन्न विभागों में आवश्यकतानुसार Experts की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है/ जायेगी। कतिपय विभागों द्वारा उक्त उपलब्ध कराए गए Experts की उपयोगिता के बिन्दु पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी। अतः उक्त Experts की उपयोगिता के बिन्दु पर विचार विमर्श कर शासी निकाय से अपेक्षित निदेश प्रार्थित है।

निर्णयः– निदेशित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन से मुख्य सचिव तत्कालीन परिस्थिति के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। साथ हीं मुख्य सचिव, बिहार सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव के साथ बैठक कर बिहार विकास मिशन द्वारा उपलब्ध कराए गए/ कराए जाने वाले मानवबलों की आवश्यकता एवं उपयोगिता के संबंध में विमर्श कर समुचित निर्णय लेंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

5/1/2019
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव

ज्ञापांकः– बि०वि०मि०–स्था०–(बैठक)–03/2018 25 **दिनांक–** 07.01.19

प्रतिलिपिः– सभी माननीय मंत्री–सह–सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ माननीय मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार–सह–सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ विकास आयुक्त, बिहार–सह–सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ पुलिस महानिदेशक, बिहार–सह–सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सचिव–सह–सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव–सह–सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/1/2019
सदस्य सचिव

ज्ञापांकः– बि०वि०मि०–स्था०–(बैठक)–03/2018 25 **दिनांक–** 07.01.19

प्रतिलिपि :– मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/1/2019
सदस्य सचिव

ज्ञापांकः– बि०वि०मि०–स्था०–(बैठक)–03/2018 25 **दिनांक–** 07.01.19

प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० प्रबंधक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/1/2019
सदस्य सचिव